हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक
एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

संख्याः ईडीएन (टीई) ए(3)4/2014 तारीख, शिमला-02 26-09-2016

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में **सह–आचार्य (इंजीनियरिंग)**, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध– 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, **सह–आचार्य (इंजीनियरिंग),** वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

संजय गुप्ता
प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकनःसंख्या ईडीएन (टीई)ए(3)4/2014 तारीख शिमला–02 26-09-2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02

2 सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–2 को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

3 निदेशक तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हि0 प्र0 सुन्दरनगर जिला मण्डी।

4 सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02

5 वरिष्ठ विधि अधिकारी, (राजभाषा खण्ड) विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, ।

6 संरक्षण नस्ति।

(मदन लाल शर्मा)
अवर सचिव (तक0 शिक्षा0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सह–आचार्य (इंजीनियरिंग), वर्ग –। (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1	पद का नामः	**सह–आचार्य (इंजीनियरिंग)**	
2	पद (पदों) की संख्याः	08 (आठ)	
		सिविल इंजीनियरिंग	02 (दो)
		इलेक्ट्रोनिक्स एवं टेली कोमुनिकेशन इंजीनियरिंग	03 (तीन)
		मकैनिकल इंजीनियरिंग	03 (तीन)
3	वर्गीकरणः	**वर्ग –। (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय**	
4	वेतनमानः	पे बैण्ड ₹ 37400–67400 जमा 9,000/–ग्रेड पे ।	
5	चयन पद अथवा अचयन पदः	चयन	
6	सीधी भर्ती के लिए आयुः	18 से 45 वर्षः	

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत् अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जाएगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर/निगमों /स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/ स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा :

"परन्तु पूर्ववर्ती पैरों में निर्दिष्ट उपबंध संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होगें।

7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	**(क) अनिवार्य अर्हता(एं)** बी ई/बी टेक में या एम ई /एम टैक में प्रथम श्रेणी सहित सुसंगत शाखा में बी ई /बी टैक और एमई/एम टैक या इसके समतुल्य तथा समुचित विद्या शाखा में पी एच डी या इसके समतुल्य। यदि श्रेणी /डिवीजन प्रदान नही की गई है तो कुल अंकों के न्यूनतम साठ प्रतिशत अंकों को प्रथम श्रेणी/डिवीजन के समतुल्य समझा जाएगा। यदि ग्रेड प्वांइट प्रणाली को अपनाया गया है तो संकलित ग्रेड प्वाइंट प्रणाली को अपनाया गया है तो संकलित ग्रेड पांइन्ट औसत (सी.जी. पी. ए.) को निम्न प्रकार से समतुल्य अंकों में संपरिवर्तित किया जाएगाः–

ग्रेड प्वांइट	समतुल्य प्रतिशत
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

(II) <u>अनुभवः</u>
अध्यापन/अनुसंधान/औद्यौगिक में कम से कम पॉच वर्ष का अनुभव हो जिसमें से कम से कम दो वर्ष का पी एच डी के पश्चात का अनुभव वांछनीय है।

(ख) वांछनीय अर्हताः–
हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं :	आयु : लागू नहीं। शैक्षिक अर्हता : हां।

हस्ताक्षर

9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।
10	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता :	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर ।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा:	उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7(I) के सामने सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षित अर्हता धारण करने के अध्यधीन इंजिनियरिंग की समुचित शाखा के सह–आचार्यों (इंजिनियरिंग), में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण I– उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में अवधि "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण I I:– उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होगें:

1 जिला लाहौल स्पिति ।
2 चम्बा जिला का पागीं और भरमौर उप मण्डल ।
3 रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4 जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाठ।
5 कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6 कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भगाल क्षेत्र ।

1451 लाला

7 जिला किन्नौर ।

8 सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़ –भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त ।

9 मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल –बगड़ा पटवार वृत्त , बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन,देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भड़वानी, हस्तपुर, घमरेडद और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्तः

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

<u>स्पष्टीकरण</u> :– अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज़ परसोनल(रिज़र्वेन ऑफ वैकेन्सीज़ इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़ ,1972 के नियम –3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिज़र्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़ ,1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति /प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

१५७ लाला

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान् हो तो उसकी संरचनाः :	जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षा :	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर /पाठ्यक्रम आादि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
16	आरक्षणः	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछडे वर्ग और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षाः	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।
18	शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को, किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

1467 लाल

(Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A (3) 4/2014 dated:..26-09-2016as required under Article 348 (3) of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Technical Education, Vocational &
Industrial Training Department.

No. EDN (TE) A (3) 4/2014 Dated, Shimla-171002 26-09-2016.

"NOTIFICATION"

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Associate Professor (Engineering), Class-I, (Gazetted) in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:-

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Associate Professor (Engineering), Class – I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2016.

(2).These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

BY ORDER

Sanjay Gupta
Principal Secretary (T.E.) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. EDN (TE) A (3)4/2014 Dated, Shimla-171002, 26-09-2016

Copy forwarded to:-

1. All Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-02
2. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla -02 along with 02 copies.

3. The Director, Technical Education, Vocational & Industrial Training, H.P. Sundernagar, Distt. Mandi-1714401.
4. The ALR-cum- Under Secretary (Law) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-02.
5. The Senior Law Officer (H) Law Deptt., H.P. Sectt. Shimla – 171002.
6. Guard file.

(Madan Lal Sharma)
Under Secretary (TE) to the
Govt. of Himachal Pradesh

Annexure-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSOCIATE PROFESSOR (ENGINEERING) (CLASS-I, GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING, HIMACHAL PRADESH.

1	Name of post	Associate Professor (Engineering)
2	Number of post(s)	08 (Eight). Civil Engineering = 02 (Two) Electronics & communication Engg = 03 (Three) Mechanical Engg. = 03 (Three)
3	Classification	Class-I (Gazetted Non-Ministerial)
4	Scale of Pay	Pay Band ₹ 37400-67400+9000/-Grade Pay
5	Whether "Selection" post or "Non-Selection" post	Selection
6	Age for direct recruitment	Between 18 and 45 years
	Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis: Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment: Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government: Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector /Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/ Autonomous bodies and who are/ were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous bodies.	

	(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be. (2) Age and experience in the case of direct recruitment are relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified. Provided that the provisions referred to in proceeding paras shall not be applicable in the case of contract appointee."	
7	Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit (s)	**(a) <u>Essential Qualification(s):</u>** **i)** BE/B Tech. and ME/M Tech. in relevant branch with First Class or equivalent either in BE/B Tech. or ME/MTech. and Ph.D or equivalent in the appropriate discipline. If a class/division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/ division. If a Grade Point System is adopted the CGPA will be converted into equivalent marks as below:- **Grade Point** — **Equivalent Percentage** 6.25 — 55% 6.75 — 60% 7.25 — 65% 7.75 — 70% 8.25 — 75% **ii) <u>EXPERIENCE:</u>** Minimum of 5 years experience in teaching / research / industry of which at least 2 years post Ph. D experience is desirable. **<u>Desirable Qualification(s):</u>** Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the

		peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8	Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s)	Age : Not applicable Education Qualification: Yes
9	Period of probation, if any	Two years Subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10	Method(s)of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s), to be filled in by various methods:	100% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis.
11	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made:	By promotion from amongst the Assistant Professors (Engineering) of appropriate branch of engineering subject to possessing of educational qualification prescribed for direct recruitment against Col. No. 07 (i) above with 03 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which by direct recruitment on regular basis.
	Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas, subject to adequate number of post(s) available in such areas: Provided further that the proviso A(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation: Provided further that Officers/Officials, who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult areas, shall be transferred to such area strictly in accordance with his /her seniority in the respective cadre on desirability and necessity, if any, on the department any time. Explanation-I: - For the purpose of proviso A(I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas	

shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II: For the purpose of proviso A(I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti,
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Disvision.
4. Pandrah bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchaayat Kashapat,Gram Panchayats of Rampur Teshil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division o f Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangan Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, In Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini,MathyaniGhanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh,Graman, Devgarh, Trailla, Ropa Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion , the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of qualifying service as prescribed in these Rules for promotion subject the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category/post /cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less:

	Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion; **Explanation:-** The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation o f vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rule, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rule, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under. (2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules. Provided that inter-se-seniority as a result of above shall remain unchanged.	
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	As may be constituted by the Government from time to time.
13	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment	As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15	Selection for appointment to post by direct recruitment	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be.

16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination	Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18.	Powers to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions of these Rules with respect to any Class or Category of persons or posts.